

Simran Mehta 211-

10/11/2011
2199

211

2199
23/12/11

1940

रसीद दस्तावेज बर्गेरह
मुकाम

40

दस्तावेज की तफसीलवारी व कीमत या दस्तखत की तारीख या किस्म जो मुहरबन्द लिफाफा लिया गया हो जिसके बायत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत
वाल गौल A/E प्रकोष्ठ	3	4
	125	

गैर न्यायिक

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES



सत्यमेव जयते

INDIA

NON JUDICIAL

1880

15 NOV 2011

उप प्रकीयक

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

V 262156



मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम २००० की धारा २ के अंतर्गत घोषणा-पत्र

यह कि, घोषणाकर्ता कँवलजीतसिंह माटिया एच.यु.एफ. तर्फे कर्ता श्री कँवलजीतसिंह पिता श्री अमरजीतसिंह माटिया निवासी 19-ए. प्रेम नगर, इंदौर म0प्र0 (जिन्हें इस लेख में आगे सुविधा की दृष्टि से घोषणाकर्ता भूमिस्वामी के नाते से संबोधित किया गया है) घोषणाकर्ता भूमिस्वामी एतद् द्वारा यह कथन करते है कि :-

(1) यह कि, घोषणाकर्ता के स्वामित्व एवं आधिपत्य का भूखंड ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लिम्बोदी तहसील व जिला इंदौर (सर्वे नंबर 7/5/4 पर स्थित) रानीबाग मेन यहाँ स्थित भूखंड क्रमांक 211 है । सदर भूखंड घोषणाकर्ता ने श्री महेश कुमार पिता स्व. श्री रामचंद्रजी से रजि. विक्रय-पत्र क्रमांक 13/1707(16) दिनांक 19-10-2011 के जरिये क्रय किया है । सदर भूखंड की साईज पूर्व सिरा 109 फीट, पश्चिम सिरा 91 फीट, उत्तर सिरा 50 फीट, दक्षिण सिरा 53 फीट 4 इंच, होकर कुल क्षेत्रफल 5000 वर्गफीट अविरत.....2.

Handwritten signature

3 P/10

USI 175.1209M

अर्थात् 464.68 (चार सौ चौसठ दशमलव छः आठ) वर्गमीटर है । सदर भूखंड की चतुःसीमा निम्नानुसार हैं :-

पूर्व को	:	भू-भाग क्रमांक 212
पश्चिम को	:	भू-भाग क्रमांक 210
उत्तर को	:	भू-भाग क्रमांक 215
दक्षिण को	:	सड़क

(2) यह कि, उपरोक्त वर्णित भूखंड पर विकास करने बाबद ग्राम पंचायत लिम्बोदी से नक्शा स्वीकृत (भवन अनुज्ञा-पत्र क्रमांक 7 दिनांक 11-12-2009) करवाकर बहुमंजिला भवन का निर्माण किया है । जिसका नाम "सिमरन आर्कोड" रखा गया है । इस भवन के संबंध में घोषणाकर्ता मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 की धारा 2 के अंतर्गत यह लेख निष्पादित कर रहे हैं :-

(3) यह कि, उक्त भवन में तल मंजिल, प्रथम मंजिल, द्वितीय मंजिल, तृतीय, चतुर्थ एवं टेरेस फ्लोर है । तलों का अलग-अलग रूप भागों में प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि उनका अपना एक ऐसा निर्गम मार्ग है, जहां से भवन के सम्मिलित क्षेत्र तथा सुविधा से पहुंचा जा सकता है और प्रत्येक प्रकोष्ठ एक या एक से अधिक स्वामियों को सुविधानुसार अलग अलग भागों में विक्रय किये जायेंगे और उसमें प्रत्येक स्वामियों को उसका विशिष्ट तथा अन्य संपत्ति अधिकार, अधिप्राप्ति तथा प्रत्येक प्रकोष्ठ जिसे इसमें इसके पश्चात इकाई के रूप में निर्दिष्ट किया गया है । राज्य के तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधी की अर्थान्तर्गत दाय योग्य तथा हस्तांतरणीय स्थावर संपत्ति होगा । इस लेख के साथ भवन के चढाव, पैसेज एवं भवन की पानी की मोटर बॉरिंग, पानी की टंकी, इत्यादि समस्त प्रकोष्ठ होल्डर के सामूहिक उपयोग एवं उपभोग हेतु रहेंगे, जिसका मेन्टेनेंस सभी प्रकोष्ठधारी सामूहिक रूप से करेंगे । निर्बन्धित सम्मिलित क्षेत्र तथा सुविधाओं पर समस्त इकाइयों को अविभाजित हित भी अभिप्राप्त होगा और उपर्युक्त सभी बातें मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 के अनुसार होगी, इस अधिनियम की प्रत्येक शर्त उपरोक्त भवन की प्रत्येक प्रकोष्ठधारियों को मान्य होकर उस पर बंधनकारक होगी । सदर भवन की आखरी मंजिल की छत घोषणाकर्ता की रहेगी एवं भविष्य में बिल्डिंग परमीशन मिलने पर घोषणाकर्ता भवन निर्माण कर सकेंगे ।

(4) यह कि उपरोक्त भवन का निर्मित एरिया (सुपर बिल्ट अप एरिया) चरण क्रमांक पाँच में दर्शाये सुपर बिल्टप के अनुसार होगा इस एरिये में सदर भवन के कामन पैसेज, चढाव इत्यादि का एरिया भी सम्मिलित है ।

(5) यह कि उपरोक्त भवन की इकाईया तथा सम्मिलित क्षेत्र तथा सुविधाएं निम्नानुसार होगी :-

(अ) यह कि, तल मंजिल पर पार्किंग रहेगी, प्रथम मंजिल पर 5 प्रकोष्ठ (प्रकोष्ठ क्रमांक 101 से 105), द्वितीय मंजिल पर 5 प्रकोष्ठ (प्रकोष्ठ क्रमांक 201 से 205), तृतीय मंजिल पर 5 प्रकोष्ठ (प्रकोष्ठ क्रमांक 301 एवं 305) एवं चतुर्थ मंजिल पर 5 प्रकोष्ठ (प्रकोष्ठ क्रमांक 401 से 405) एवं टेरेस फ्लोर पर 2 प्रकोष्ठ(पी-1 एवं पी-2) है ।

(ब) सम्मिलित क्षेत्र तथा सुविधाएँ :-

(क) इस विलेख के पहले पैरा में उल्लेखित भूमि-खण्ड

(ख) संपूर्ण भवन में निम्नलिखित सुविधाएँ हैं :-

- (1) भवन की तल मंजिल एवं छत पर पानी की टंकी
- (2) तल मंजिल पर बोरिंग रहेगा जिसका उपयोग सभी प्रकोष्ठधारी कर सकेंगे जिसमें किसी का भी एकाधिकार नहीं रहेगा तथा भविष्य में उसका रखरखाव भी इनके द्वारा मिलकर वहन किया जावेगा ।
- (3) पार्किंग स्पेस - संपूर्ण तल मंजिल पर पार्किंग है ।

यह कि, प्रत्येक प्रकोष्ठ के संबंध सम्मिलित क्षेत्रों तथा सुविधाओं में अविभाजित हित का प्रतिशत किसी भी रूप में घोषणा की तारीख को भारतग्रस्त नहीं है ।

(6) यह कि, सहस्वामित्व भवन (कंडोमेनियम) जिसमें इस विलेख के पहले तथा पांचवे पैरा में वर्णित भवन तथा भूमि-खण्ड सम्मिलित है, का प्रशासन मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 में वर्णित उपबंधों के अनुसार होगा ।

(7) यह कि उपर दर्शाये अनुसार प्रत्येक स्वामित्व की एक योजना तैयार की गई है ताकि वे सभी तलों को आवासीय इकाइयों को स्वतंत्र रूप से उपयोग किये जाने योग्य व्यक्तिगत संपत्तियों के रूप में हस्तांतरित तथा रजिस्ट्रीकृत किया जा सकें, क्योंकि उनमें से प्रत्येक का भवन का सम्मिलित क्षेत्र तथा सुविधा तक जाने का अपना अलग निर्गम द्वार है, प्रत्येक आवासीय इकाइयों के स्वामियों का उसकी अपनी संबंधित आवासीय इकाई पर अन्य तथा विशिष्ट, अधिकार, हक्क और हित है तथा इसके अतिरिक्त सम्मिलित क्षेत्रों एवं सुविधाओं में विनिर्दिष्ट अविभाजित हित है ।

(8) यह कि, सम्मिलित क्षेत्र तथा सुविधाएं अविभाजित रहेगी और कोई भी स्वामी उनके बंटवारे या विभाजन के लिये कोई कार्यवाही नहीं करेगा ।

(9) यह कि, चरण क्रमांक 5 में अलग अलग प्रकोष्ठ का सुपर बिल्टप एरिया दर्शाया गया है परन्तु मौके पर निर्माण कार्य के समय सुपर बिल्टप क्षेत्रफल कम या ज्यादा होता है तो प्रकोष्ठ धारियों को रजिस्ट्रीयां उस क्षेत्रफल के अंतर्गत सुपर बिल्टप अथवा बिल्टप की कर दी जावेगी ।

(10) यह कि, सामान्य तथा या निर्बन्धित सम्मिलित क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभाजित हित उस आवासीय इकाई से पृथक नहीं किया जावेगा जिससे की यह अनुलग्न हो और ऐसा हित, भले ही वह किसी भी हस्तांतरण पत्र या अन्य लिखित अभिव्यक्त रूप से उल्लेखित या वर्णित न हो उस आवासीय इकाई को हस्तांतरित या भारतग्रस्त समझा जावेगा ।

अविरत.....5.

(11) यह कि, यदि संपत्ति पूर्णतः या सारभूत रूप से क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जावे तो संपत्ति की मरम्मत पूर्ण निर्माण या व्ययन समस्त प्रकोष्ठधारियों को मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 में उपबंधित रूप में किया जावेगा ।

(12) यह कि, उपरोक्त प्रकोष्ठ भवन के समस्त स्वामी मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत एक संस्था का गठन करेंगे । तथा ऐसी संस्था का पंजीयन सक्षम प्राधिकारी के यहां करवायेंगे ।

(13) यह कि, यह घोषणा पत्र सदर भवन के भू-स्वामियों ने सदर भवन को प्रकोष्ठ धारियों की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर यथा युक्ति युक्त सावधानी पूर्वक तरीके से निष्पादित कर दिया है फिर यदि सदर भवन के संबंध में कोई आवश्यक तथ्य जोड़ने होंगे या विलोपित करना होंगे तो घोषणाकर्ता आवश्यकतानुसार संशोधन लेख या अनुपूरक लेख निष्पादित कर सकेंगे ।

यह विलेख घोषणाकर्ता ने अच्छी तरफ पढ़कर समझकर, पूर्ण होश हवास में निष्पादित कर दिया है ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवें । इति ।

इंदौर, दिनांक : 15/11/2011

साक्षीगण :-

1. सही [Signature]
नाम : Chandee Singh Jotwari
पता : 119 Raw bag Siya

हस्ताक्षर - घोषणाकर्ता

[Signature]

2. सही [Signature]
नाम : शारदा देवी / 0-35221 मली
पता : राजम सिमलीम 25 वीं बंगला
521

प्रत्येक इकाई में विद्युत संयोजन एवं नल हेतु प्वाइंट उपलब्ध होंगे इन इकाइयों का वर्णन इसके नीचे दिया गया है -। सभी इकाई के माप में सभी बाहरी दिवाले तथा 3 ब्लाक विभाजक दिवाल सम्मिलित है ।

प्रत्येक इकाई में सुपर बिल्टप निम्नानुसार रहेगा :-

टाइप क्रमांक 1 प्रथम मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 101	1135 वर्गफीट
टाइप क्रमांक 2 प्रथम मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 102	1040 वर्गफीट
टाइप क्रमांक 3 प्रथम मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 103	980 वर्गफीट
टाइप क्रमांक 4 प्रथम मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 104	1050 वर्गफीट
टाइप क्रमांक 5 प्रथम मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 105	950 वर्गफीट
टाइप क्रमांक 6 द्वितीय मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 201	1135 वर्गफीट
टाइप क्रमांक 7 द्वितीय मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 202	1040 वर्गफीट
टाइप क्रमांक 8 द्वितीय मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 203	980 वर्गफीट
टाइप क्रमांक 9 द्वितीय मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 204	1050 वर्गफीट
टाइप क्रमांक 10 द्वितीय मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 205	950 वर्गफीट
टाइप क्रमांक 11 तृतीय मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 301	1135 वर्गफीट
टाइप क्रमांक 12 तृतीय मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 302	1040 वर्गफीट
टाइप क्रमांक 13 तृतीय मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 303	980 वर्गफीट
टाइप क्रमांक 14 तृतीय मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 304	1050 वर्गफीट
टाइप क्रमांक 15 तृतीय मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 305	950 वर्गफीट
टाइप क्रमांक 16 चतुर्थ मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 401	1135 वर्गफीट
टाइप क्रमांक 17 चतुर्थ मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 402	1040 वर्गफीट
टाइप क्रमांक 18 चतुर्थ मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 403	980 वर्गफीट
टाइप क्रमांक 19 चतुर्थ मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 404	1050 वर्गफीट
टाइप क्रमांक 20 चतुर्थ मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 405	950 वर्गफीट
टाइप क्रमांक 21 टेरेस फ्लोर का प्रकोष्ठ क्रमांक पी-1	1100 वर्गफीट
टाइप क्रमांक 22 टेरेस फ्लोर का प्रकोष्ठ क्रमांक पी-2	1100 वर्गफीट

कुल 22 प्रकोष्ठ

अविरत.....4.

(Handwritten signature)

कार्यालय : ग्राम पंचायत लिम्बोदी

जनपद पंचायत इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक 4/60



दिनांक 13/03/2010

प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत के पास श्री/श्रीमती महेश कुमार

पिता/पति श्री रामचन्द्र जी निवासी का आवेदन-पत्र

आने पर यह प्रमाणित किया जाता है कि


आवेदक का स्वयं का निजी आवासीय भूखण्ड क्र. 211

..... इन्दौर जिले में स्थित है।



उक्त भूखण्ड पर आवेदक आवासीय भवन का निर्माण करना चाहता है।

निम्न प्रतिबंधों के साथ मानचित्र स्वीकृत किया जाता है।

- (1) समस्त शासकीय नियमों/उपनियमों का पालन करें।
 - (2) निर्माण करते समय 30% खुली भूमि छोड़े एवं वृक्षारोपण करें।
 - (3) निर्माण करते समय रोड से 10 फिट अन्दर ही पक्का निर्माण कार्य करें।
 - (4) भवन की ऊँचाई 20/12 मि. से अधिक न रखें।
- इस बाबद का प्रमाण पत्र ⁽¹⁵⁾ ग्राम पंचायत द्वारा दिया जाता है।


सि.प्र.च.
ग्राम पंचायत लिम्बोदी
जनपद पंचायत इन्दौर

नोट : यह प्रमाण-पत्र आवेदक द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी के अनुसार जारी किया गया है। असत्य जानकारी देने एवं प्रमाण पत्र का अनुचित उपयोग करने का उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र प्रस्तुतकर्ता का होगा।



SITE PLAN
SCALE: 1/8" = 1'-0"

PROJ. MAP FOR P.NO. 211
DATE: 10/15/74
BY: [Name]

SITE BOUNDARY
SETBACKS: 10'-0" (FRONT), 5'-0" (SIDE), 10'-0" (REAR)

OWNER'S SIGN
ARCHITECTS & ENGINEERS
TOTAL ASSOCIATES
1000 W. 10th St.
SUNNYVALE, CA 94086
SCALE: 1/8" = 1'-0"

